


भाग-2

परियोजना या स्कीम की अवस्थिति:- जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत उमट्टा-बरसाली-मीणा मोटर मार्ग का बैरफाला-काण्डा तक विस्तारीकरण के निर्माण हेतु 2.015 हे० वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।	
(i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्तराखण्ड
(ii) जिला	चमोली
(iii) जिला वन प्रभाग	बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
(iv) पूर्वक्षेपण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	1.110 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.747 हे० सिविल भूमि, 0.158 हे० वन पचायत।
2- पूर्वक्षेपण के लिए पहचानी गई नई वन भूमि की विधिक प्रस्थिति	आरक्षित वन भूमि
3- अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वनभूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा-	संलग्न।
(i) वन का प्रकार	आरक्षित वन भूमि, सिविल भूमि, वन पचायत वन भूमि
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व	0.3
(iii) प्रजातिवार स्थलवार या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना।	संलग्न।
(iv) पूर्वक्षेपण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि की कार्यकरण योजना का नुस्खा	संलग्न।
4- भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेपण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीर्णता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट संलग्न।
5- वनभूमि की सीमा से पूर्वक्षेपण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी	0.100 किमी०
6- वन्यजीव की दृष्टि से पूर्वक्षेपण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता	नहीं।
(i) पूर्वक्षेपण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा	नहीं।
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य जैवक्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अल्पवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपावद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणी उपावद्ध की जाय)	नहीं।
(iii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य जैवक्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेपण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस किमी० के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्यजीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावद्ध की जाय)	नहीं। मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई०टी० एवं आधुनिकीकरण, देहरादून की पत्र सं० 230/32-1-2(जी०एस०आई०) दिनांक 13.07.2019 से केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की निकटतम हवाई दूरी 18.1 किमी० जी०आई०एस० तकनीकी से सन्निकट आंकलित की गयी है।
(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेपण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक किमी० के भीतर अवस्थित है, (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्यजीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावद्ध की जाए)	नहीं।
(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जन्तु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, तो उसके ब्यौरे	नहीं।

7- क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपावद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ उसका ब्योरा दें।)	नहीं।
8- पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें।	निम्नानुसार।
(i) क्या भाग-1 के पैरा 6 और 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।	न्यूनतम है।
(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।	याचिका भूमि न्यूनतम है।
9- किए गए अतिक्रमण के ब्योरे:-	
(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य की किया गया है (हां/नहीं)	नहीं।
(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वर्तित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध की गई कार्यवाही।	नहीं।
(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति है (हां/नहीं)	नहीं।
10- क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्योरे:-	
(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रारिथति।	मौणा सिविल भूमि
(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पाटमेंट या खसरा सं० क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्योरे दें।	मौणा सिविल भूमि 4.055 है० खसरा नं० 1387 में 0.850, 1392 में 0.456 है०, 1401 में 0.212 है०, 1402 में 0.409 है०, 1403 में 1.770 है० एवं 1599/2003 में 0.338
(iii) क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र के लिए पचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और समीप्य वन सीमाएं संलग्न है।	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण डिजिटल मैप में स्थल की सीमाएं दर्शित है।
(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्योरे संलग्न है (हां/नहीं)	प्रस्ताव में संलग्न।
(v) क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय:-	प्रस्ताव में संलग्न प्राक्कलन के अनुसार।
(vi) क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए प्रबन्धन के दृष्टिकोण से पहचान किए गए क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में संवद्ध उप वन संरक्षण से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
11- वनस्पति और जीवजन्तु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है। (हां/नहीं)	नहीं।
12- स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें।	जनहित में संस्तुति दी जाती है।

स्थान:- गोपेश्वर।
दिनांक- 05/08/2021


(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।